कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010
(2010 का अधिनियम संख्यांक 18), दिनांक 24.05.2010

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 है |

(2) धारा 18, 3 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे |

2. धारा 1 में संशोधन

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (5) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "एक मास" शब्द रखे जाएंगे |

3. धारा 2 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(अ) खंड (6क) में,—

(क) उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) विधवा, धर्मज या दत्तक पुत्र, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, अविवाहित धर्मज या दत्तक पुत्री;"

(ख) उपखंड (ii) में, "अठारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे |

(आ) खंड (9) में, "या स्थापना के स्थायी आदेशों के अधीन" शब्दों के स्थान पर "और इसके अंतर्गत शिक्षु के रूप में लगा हुआ ऐसा व्यक्ति भी है, जिसकी प्रशिक्षण अवधि किसी समय काल तक विस्तारित की गई है" शब्द रखे जाएंगे |

(इ) खंड (11) में, उपखंड (V) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(V) आश्रित माता-पिता जिनकी सभी स्रोतों से आय ऐसी आय से अधिक नहीं होती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए;

(VI) यदि बीमाकृत व्यक्ति अविवाहित है और उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं तो बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्ण रूप से आश्रित अवयस्क भाई या बहिन;"

(ई) खंड (12) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(12) "कारखाना में ऐसा कोई परिसर अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत उसकी ऐसी प्रसीमाएं भी हैं, जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन नियोजित थे और जिसके किसी भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है या मामूली तौर से इस प्रकार की

जाती है किन्तु इसके अंतर्गत कोई खान, जो खान अधिनियम, 1952 के प्रवर्तन के अधीन है, या रेल इंजन शेड नहीं है;" |

4. धारा 10 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक पदेन अध्यक्ष

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक पदेन सह अध्यक्ष |"

5. धारा 12 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(3) जैसे ही, धारा 4 के खंड (झ) में निर्दिष्ट व्यक्ति, मंत्री या लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा का उपसभापति बन जाता है अथवा जब वह संसद का सदस्य नहीं रहता है, सदस्य नहीं रहेगा |"

6. धारा 17 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (क) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि यह उपधारा विभिन्न क्षेत्रों में संविदा के आधार पर नियुक्त परामर्शियों और विशेषज्ञों की नियुक्ति को लागू नहीं होगी" |

7. धारा 37 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 37 में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे|

8. धारा 45 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 45 में,-

(क) "निरीक्षक" शब्द के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वह आता है, "सामाजिक सुरक्षा अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे; |

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(4) निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अधिकारी किसी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की शुद्धता और गुणता का सत्यापन करने के प्रयोजन से धारा 44 के अधीन प्रस्तुत किए गए अभिलेखों और विवरणियों का पुन: निरीक्षण या जांच निरीक्षण कर सकेगा |"

9. धारा 45क में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 45 क की उपधारा (1) में,-

(i) "निरीक्षक" शब्द के स्थान पर, "सामाजिक सुरक्षा अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे; |

(ii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि निगम द्वारा उस तारीख से जिसको अंशदान शोध्य हो जाएगा, पाँच वर्ष से परे की अवधि की बाबत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा|"

10. नई धारा 45कक का अंत:स्थापन

मूल अधिनियम की धारा 45(क) के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"45कक.अपील प्राधिकारी

यदि कोई नियोजक धारा 45क में निर्दिष्ट आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर इस प्रकार आदेशित अंशदान का पच्चीस प्रतिशत या अपने स्वयं के परिकलन के अनुसार अंशदान, इनमें से जो भी अधिक हो, निगम के पास जमा करने के पश्चात् विनियमों द्वारा यथा उपबंधित अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा :

परंतु यदि नियोजक अंतिम रूप से अपील में सफल हो जाता है तो निगम ऐसे जमा को नियोजक को ऐसे ब्याज के साथ वापस करेगा जो विनियम में विनिर्दिष्ट किया जाए" |

11. **धारा 51क एवं 51ख में संशोधन**

मूल अधिनियम की धारा 51क और धारा 51ख में, "बीमाकृत व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "कर्मचारी" शब्द रखा जाएगा |

12. धारा 51ग एवं 51घ में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 51ग और धारा 51घ में, "बीमाकृत व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "कर्मचारी" शब्द रखा जाएगा |

13. नई धारा 51ङ का अंत:स्थापन

मूल अधिनियम की धारा 51घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"51ङ, कार्य स्थल पर जाने एवं आने के दौरान होने वाली घटनाएं

किसी कर्मचारी के साथ, कर्तव्य के लिए उसके निवास से नियोजक के स्थान तक आते समय या कर्तव्य पालन करने के पश्चात् नियोजक के स्थान से उसके निवास तक जाते समय होने वाली किसी दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह नियोजन के अनुक्रम में हुई है यदि उन परिस्थितियों, समय और स्थान, जिन पर दुर्घटना हुई है और नियोजन के बीच संबंध स्थापित हो जाता है" |

14. धारा 56 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (3) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि कोई ऐसा बीमाकृत व्यक्ति जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त हो जाता है या समयपूर्व सेवानिवृत्ति ले लेता है और उसकी पत्नी या उसका पति अंशदान के संदाय और ऐसी अन्य शर्तों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अधीन रहते हुए, चिकित्सा-हितलाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे |"

15. धारा 58 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(5) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन निगम के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बीमारी, प्रसूति और नियोजन क्षति की दशा में कर्मचारियों के लिए कतिपय फायदों का उपबंध करने के लिए ऐसे संगठन (चाहे जिस नाम से ज्ञात) की स्थापना कर सकेगी :

परंतु अधिनियम में राज्य सरकार के प्रति किसी निर्देश में, जब कभी ऐसा संगठन राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, उस संगठन के प्रति निर्देश भी सम्मिलित होगा |

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट संगठन की संरचना ऐसी होगी और वह ऐसे कृत्यों का निर्वहन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे क्रियाकलाप करेगा, जो विहित किए जाएं |"

16. धारा 59 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 59 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(3) निगम बीमाकृत व्यक्तियों को जहाँ ऐसा चिकित्सा हितलाभ उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित किया गया है, वहाँ उनके कुटुम्बों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध किए जाने के बारे में तृतीय पक्ष की भागीदारी के माध्यम से कर्मचारी बीमा अस्पतालों को शुरू करने और उन्हें चलाने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय निकाय या प्राइवेट निकाय के साथ समझौता भी कर सकेगा |"

17. नई धारा 59ख का अंत:स्थापन

मूल अधिनियम की धारा 59क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"59ख. चिकित्सा एवं परा-चिकित्सा शिक्षा

निगम, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अधीन प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणता में सुधार करने की दृष्टि से अपने पराचिकित्सीय कर्मचारीवृंद और अन्य कर्मचारियों के लिए चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेगा |"

18. अध्याय 5क के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन (रखा जाना)

अध्याय 5क के स्थान पर निम्नलिखित नया अध्याय रखा जाएगा, अर्थात् :-

अध्याय 5क
अन्य लाभार्थियों के लिए स्कीम

73क. परिभाषाएं

इस अध्याय में,—

(क) "अन्य लाभार्थियों" से इस अधिनियम के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

(ख) "स्कीम" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य लाभार्थियों के संबंध में चिकित्सा सुविधा के लिए धारा 73ख के अधीन समय-समय पर विरचित की गई कोई स्कीम अभिप्रेत है;

(ग) "अल्प उपयोगिता अस्पताल" में ऐसा अस्पताल अभिप्रेत है जिसका इस अधिनियम के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है;

(घ) "उपभोक्ता प्रभार" से वह रकम अभिप्रेत है जो ऐसी चिकित्सा सुविधाओं के लिए जो समय-समय पर निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से अधिसूचित की जाएं अन्य लाभार्थियों से प्रभारित की जानी है |

73ख. योजनाएं बनाने की शक्ति

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्य लाभार्थियों और उनके कुटुंब के सदस्यों के लिए किसी क्षेत्र में निगम द्वारा स्थापित ऐसे किसी अस्पताल में, जो अल्प उपयोगिता वाला है, उपयोक्ता प्रभारों के संदाय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्कीम विरचित कर सकेगी |

73ग. प्रयोक्ता शुल्क का संग्रह

अन्य लाभार्थियों से संगृहीत प्रयोक्ता प्रभार अंशदान समझे जाएंगे और कर्मचारी राज्य बीमा निधि का भाग होंगे |

73घ. अन्य लाभार्थियों के लिए स्कीम

स्कीम निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात् :-

(प) ऐसे अन्य लाभार्थी जो इस स्कीम के अंतर्गत आते हों;

(पप) वह समय और रीति जिसमें अन्य लाभार्थियों द्वारा चिकित्सा-सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी;

(पपप) वह प्ररूप जिसमें अन्य लाभार्थी स्वयं के बारे में और अपने कुटुम्ब के बारे में ऐसी विशिष्टियां, जब भी अपेक्षित हों, देंगे जो निगम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(पअ) कोई अन्य विषय जिसके लिए स्कीम में उपबंध किया जाना है या जो स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या उचित हो |

73ङ. स्कीम में संशोधन करने की शक्ति

केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्कीम में जोड़ सकेगी, संशोधन परिवर्तन कर सकेगी या उसे विखंडित कर सकेगी |

73च. इस अध्याय के अधीन विरचित स्कीम का संसद के समक्ष रखा जाना

इस अध्याय के अधीन विरचित की गई प्रत्येक स्कीम, विरचित किए जाने के पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी | यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी | यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस स्कीम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी | यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह स्कीम नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह स्कीम निष्प्रभावी हो जाएगी | तथापि स्कीम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा |

19. विधिमान्यकरण

3 जुलाई 2008 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली और कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान की गई या किए जाने से लोप की गई सभी बातें और सभी कार्रवाइयां या किए गए या न किए गए सभी उपाय, जहां तक वे कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई या लोप की गई या किए गए या न किए गए समझे जाएंगे मानो ऐसे उपबंध उस समय प्रवर्तन में थे जब उक्त अवधि के दौरान ऐसी बातें और कार्रवाइयां की गई थीं या जिनका किए जाने से लोप किया गया था ऐसे उपाय किए गए थे या नहीं किए गए थे |

20. धारा 87 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 87 के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु ऐसी छूटें केवल तभी दी जा सकेंगी जब ऐसे कारखानों या स्थापनों में कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन दिए जाने वाले हितलाभों के सारभूत रूप से समान या उससे अच्छे हितलाभ अन्यथा प्राप्त कर रहे हैं:

परंतु यह और कि नवीकरण के लिए आवेदन छूट की अवधि की समाप्ति की तारीख से तीन मास पूर्व किया जाएगा और उस पर विनिश्चय समुचित सरकार द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दो मास के भीतर किया जाएगा |"

21. धारा 91क में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 91क में "या तो भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से" शब्दों के स्थान पर, "भविष्यलक्षी रूप से" शब्द रखे जाएंगे |

22. नई धारा 91कक का अंत:स्थापन

मूल अधिनियम की धारा 91क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"91कक. केन्द्र सरकार का समुचित सरकार होना

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे राज्यों में जिनमें चिकित्सा हितलाभ निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है अवस्थित स्थापनों की बाबत केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार होगी |"

23. धारा 95 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (2) में,-

(i) खंड (ङच) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ङचच) आश्रित माता-पिता की सभी स्रोतों से आय :"

(ii) खंड (ङज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ङजज) वे शर्तें जिनके अधीन बीमाकृत व्यक्ति और ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है, पति या पत्नी को ऐसे व्यक्ति को जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत होता है और ऐसे व्यक्ति को जो समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेता है चिकित्सा हितलाभ संदेय होंगे |"

24. धारा 96 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ङङ) संगठन की स्थापना के लिए, संगठनात्मक संरचना, कृत्य, शक्तियां, क्रियाकलाप और अन्य विषय :" |

25. धारा 97 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (2) में,-

(i) खंड (xx) में "निरीक्षकों" शब्द के स्थान पर, "सामाजिक सुरक्षा अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे:

(ii) खंड (xx) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(xxक) अपील प्राधिकारी का गठन और निगम के पास नियोजक द्वारा जमा की गई रकम पर ब्याज" |